



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

15 ज्येष्ठ, 1942 (श०)

संख्या- 247 राँची, शुक्रवार,

5 जून, 2020 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

संकल्प

20 अप्रैल, 2020

संख्या-5/आरोप-1-409/2014 का०- 2189--मो० मुजफ्फर अली, तत्कालीन उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्, सीतामढ़ी, सम्प्रति- सेवानिवृत्त झा०प्र०से० के विरुद्ध जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी द्वारा गठित आरोप प्रपत्र-‘क’ कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार के पत्रांक-1547, दिनांक 21.02.2004 द्वारा उपलब्ध कराया गया, जिसमें मो० अली के विरुद्ध निम्न आरोप प्रतिवेदित है:-

आरोप सं०-1. आप जिला परिषद्, सीतामढ़ी में दिनांक 17.07.1998 से उप विकास आयुक्त सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, सीतामढ़ी के रूप में कार्यरत थे। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के बाद सरकार द्वारा संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना स्ट्रीम-1 के तहत राशि उप आवंटित कर योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु दिशा-निर्देश जारी कर इस मद की योजनाओं को कार्यान्वित कराने हेतु आपके द्वारा आदेश दिया गया। तदोपरान्त जिला परिषद् से संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के तहत कार्य प्रारंभ किया गया। आपके स्थानान्तरण के उपरांत जिला परिषद्, सीतामढ़ी में वित्तीय अनियमितता की जानकारी प्राप्त होने पर जांच कार्य प्रारंभ की गई जिसमें प्रथमतः रोकड़ बही की जाँच की गयी। दिनांक 26.09.2002 से 10.05.2003 तक की अवधि में इस मद की प्राप्ति भाग में 2,41,47,400/-रुपये एवं व्यय भाग में 45,19,696.64 रुपया मात्र की प्रविष्टि दर्ज की गयी। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, स्ट्रीम-1 की राशि जो सेन्ट्रल बैंक के खाता संख्या-47038 में संधारित है, के

लेजर से मिलान करने पर प्राप्त भाग में 2,76,29,088/- रुपये तथा व्यय भाग में उसी अवधि में 70,85,267.64 रुपये खर्च अंकित किया गया है। रोकड़ बही के प्राप्त भाग में खाता खोले जाने संबंधी राशि सरकार से प्राप्त आवंटन एवं दिनांक 31.03.2003 तक अर्जित सूद की राशि सहित कुल 45,19,696.64 रुपया मात्र की ही प्रविष्टि दर्शायी गयी है जबकि दिनांक 14.05.2003 तक 70,85,267.64 रुपया व्यय हुआ है। इस प्रकार जांच के क्रम में यह पाया गया कि रोकड़ बही एवं बैंक में संधारित खाता के ब्यौरा के अनुसार 25,65,571/-रुपया का अंतर है। जिसके संदर्भ में संधारित रोकड़ बही में कोई हिसाब नहीं पाया गया जिससे साफ रूप से परिलक्षित हुआ कि आपके द्वारा अपने कार्यकाल के दौरान निम्नांकित आठ चेक के माध्यम से वित्तीय नियमों की अवहेलना करते हुए अनियमित ढंग से राशि की निकासी की गई जिसमें क्रमांक 1 से 7 तक की राशि सेल्फ चेक के माध्यम से तथा क्रमांक 8 की राशि मो० 3,57,131/- रुपये जो श्री संजय कुमार, सहायक अभियंता, एन० आर० ई० पी०, सीतामढ़ी के नाम से निर्गत है, की फर्जी निकासी की गयी है-

क्र०	चेक संख्या/ तिथि	राशि	भुगतान की तिथि
1	47051/01.05.2002	2,05,530/-	05.11.2002
2.	47052/12.11.2002	3,68,745/-	13.11.2002
3.	47053/15.11.2002	3,58,670/-	16.11.2002
4.	47054/22.11.2002	3,54,640/-	23.11.2002
5.	47055/12.12.2002	3,58,670/-	13.12.2002
6.	47056/10.01.2003	3,58,670/-	11.01.2003
7.	47057/25.01.2003	2,03,515/-	25.01.2003
8.	257921/04.05.2003	3,57,131/-	05.05.2003
	कुल	25,65,571/-	

उपरोक्त चेकों के द्वारा गलत रूप से आपके द्वारा उक्त राशि को प्राप्त करने की दिशा में सरकारी आदेशों/निर्देशों/मार्गदर्शिका तथा वित्तीय नियमों को ताक पर रखकर अपने निजी लाभ के लिए योजना मद की अवैध तरीके से निकासी की गयी। आपके द्वारा निर्गत उपरोक्त राशि के क्रमांक 8 में अंकित राशि के संदर्भ में श्री संजय कुमार, सहायक अभियंता, एन०आर०ई०पी०, सीतामढ़ी के द्वारा यह लिखित रूप से सूचित किया गया है कि उनको चेक नहीं मिला है जबकि उक्त राशि को किसी दूसरे व्यक्ति से उनके नाम का हस्ताक्षर आपके द्वारा प्रमाणित कर बैंक से उक्त राशि की निकासी कर ली गयी है जो घोर अनियमितता है।

योजनाओं में सेल्फ चेक निर्गत करना अपने आप में अनियमितता है। चूंकि कार्य के दिन भी राशि की निकासी की जाती है अभियोजना की राशि का सेल्फ चेक के माध्यम से निकासी गबन के उद्देश्य से ही की गई है। आपके द्वारा उपरोक्त सभी तथ्यों से यह स्पष्ट है कि आपने निजी लाभ के लिए भारत सरकार/ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश एवं वित्तीय नियमों का पालन न करते हुए वरीय पदाधिकारी के कर्तव्यों तथा सरकारी सेवक आचरण नियमावली-1976 के नियम 3 तथा बिहार वित्तीय नियमावली के नियम 34 का घोर रूप से उल्लंघन करते हुए योजना मद की राशि का अवैध रूप से गबन कर लिया गया है।

आरोप सं०-2. आपने अपने कार्यकाल के दौरान सुनिश्चित रोजगार योजना 30 प्रतिशत मद की राशि का अवैध तरीके से निकासी कर उसका निजी उपयोग कर सरकार द्वारा प्राप्त आवंटन को अपने लाभ के लिए काटी गयी। राशि का बैंक लेजर से मिलान करने पर पाया कि आपने वित्तीय नियमों का घोर उल्लंघन कर बिल्कुल ही अवैध तरीके से सेल्फ बियरर चेक के माध्यम से राशि निकासी कर ली है। जबकि राज्य सरकार से प्राप्त दिशा निर्देश के आलोक में योजना मद की राशि का सेल्फ बियरर चेक के माध्यम से निकासी किया जाना वित्तीय नियमों का घोर उल्लंघन है। जबकि आप उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के रूप में पदस्थापित थे और आपके हस्ताक्षर से ही राशि की निकासी की गयी।

आरोप सं०-3. यह कि सुनिश्चित रोजगार योजना 30 प्रतिशत के मद की राशि से आपके द्वारा सेल्फ वियरर चेक के द्वारा निम्नांकित राशि का वित्तीय नियमों की अवहेलना कर निकासी की गई है-

क्रमांक	चेक संख्या/दिनांक	निकासी की गई राशि
1.	046330/7.10.02	4,43,300
2.	046962/18.10.02	1,53,140
3.	257181/3.5.03	3,32,475
	कुल	9,28,915

उक्त सेल्फ बियरर चेक के द्वारा निकासी की गई राशि का कार्यालय में न तो कोई विपत्र ही पाया गया और न ही कोई जानकारी कार्यालय अभिलेख स्वरूप ही पाया गया। आप किस प्राधिकार से राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देश का अनुपालन न कर अपने कर्तव्यों की अनदेखी कर योजना की राशि को सेल्फ चेक के माध्यम से निकासी की।

आरोप सं०-4. इस प्रकार प्रथम दृष्टया पाया गया कि इस मद की राशि वित्तीय नियमों का घोर उल्लंघन करते हुए श्री दिलीप कुमार सिंह, लिपिक से मिली-भगत कर राशि की निकासी कर आपने विकास से संबंधित योजना मद राशि का अपने निजी उपयोग के लिए अपने पद का दुरुपयोग करते हुए एक वरीय प्रशासनिक अधिकारी के दायित्वों/कर्तव्यों का पालन न कर ग्रामीण विकास योजना की राशि का व्यय उस प्रयोजन हेतु नहीं कर समाज के दबे-कुचले वर्ग विशेष कर अनुसूचित जाति के विकास एवं रोजगार मुहैया कराने हेतु सरकार

द्वारा प्राप्त राशि का जालसाजी कर गबन कर लिया गया। आपके द्वारा अवैध रूप से योजना मद की राशि का गबन कर लिये जाने से एक ओर जहां प्रशासनिक व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगा है, वहीं दूसरी ओर, राज्य सरकार की मंशा के विपरीत आपके इस तरह के कृत्यों के कारण जिले के इस मद की विकास कार्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

आरोप संख्या-5. दशम एवं एकादश वित्त आयोग की राशि त्रिस्तरीय पंचायत निकाय के बाद राज्य सरकार द्वारा जिला परिषद से कार्यान्वित कराने हेतु उपलब्ध करायी गयी, जिसके संचालन का दायित्व सरकार द्वारा उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद को दी गई। परन्तु आपके द्वारा वित्तीय नियमों के अनुपालन हेतु राज्य सरकार द्वारा दिये गये निदेश का पालन न किया जा सका। सरकार से प्राप्त आवंटन का शत-प्रतिशत व्यय जिले के विकास मद के योजनाओं के कार्यान्वयन पर होना है। किन्तु आपके द्वारा उसका अनुपालन न कर अवैध रूप से सरकारी राशि जो योजना मद की थी, उसे अपने अधिकार एवं कर्तव्यों का नियम विपरीत उपयोग कर सेल्फ चेक के माध्यम से अवैध तरीके से निकासी कर अपने निजी स्वार्थवश गबन कर लिया गया। आपके द्वारा दशम एवं एकादश वित्त आयोग मद की राशि की अवैध निकासी का ब्योरा निम्न प्रकार है:-

क्र०	चेक संख्या/ तिथि	राशि	भुगतान की तिथि
1	045171/17.09.2002	2,05,530.00	18.09.2002
2.	045172/26.09.2002	50,375.00	01.10.2002
3.	045173/30.06.2002	1,26,945.00	01.10.2002
4.	045174/11.10.2002	40,300.00	11.10.2002
5.	045175/21.10.2002	2,05,530.00	22.10.2002
6.	045201/25.02.2003	3,56,655.00	25.02.2003
7.	045176/26.03.2003	2,80,085.00	26.03.2003
8.	045177/10.05.2003	2,31,725.00	20.05.2003
9.	045178/10.05.2003	1,37,020.00	26.05.2003
	योग	16,34,165.00	

उपरोक्त अंकित राशि में से क्रमांक 1 से 7 तक की राशि आपके द्वारा सेल्फ चेक के माध्यम से श्री दिलीप कुमार सिंह, लिपिक के सहयोग से मिलीभगत कर निकासी कर गबन कर लिया गया, जबकि क्रमांक 8 एवं 9 में अंकित राशि जिला परिषद, सीतामढ़ी से सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भुगतान दिखाया गया

है। यहाँ यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि योजना मद की राशि आपके द्वारा किस नियम के तहत सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भुगतान दिलया गया है। इस मद की राशि से सेवानिवृत्त कर्मचारियों का भुगतान किया गया। इस तरह से योजना मद की राशि को जबकि इस मद की राशि का न तो विचलन ही किया जाना है तो फिर किस परिस्थिति में उस मद से अवैध तरीके से राशि की निकासी की गई।

आरोप सं०-6. क्या आपको भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देश की जानकारी प्राप्त नहीं थी? जबकि इस मद की राशि महत्वपूर्ण ग्रामीण विकास योजनाओं के लिए सरकार द्वारा उपावंटित की गई थी और आपके इस तरह से वित्तीय नियमों की अवहेलना से जिले के विकास संबंधी योजनायें भी प्रभावित हुई।

आरोप सं०-7. इससे स्पष्ट है कि आपकी गलत मंशा एवं लापरवाही के कारण महत्वपूर्ण योजनाओं को क्रियान्वित कराने हेतु दी गयी राशि जो समाज के गरीब वर्ग के उत्थान हेतु खर्च किया जाना था, उसे उसपर व्यय न कर आपने अपने हित में अपने प्रभाव का भरपूर उपयोग कर राशि की निकासी कर उसे गबन कर लिया।

उक्त आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक-1788, दिनांक 06.04.2004 द्वारा मो0 अली से स्पष्टीकरण की माँग की गयी, जिसके अनुपालन में मो0 अली के पत्र, दिनांक 16.06.2014 द्वारा अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। मो0 अली के स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक-7076, दिनांक 11.07.2014 द्वारा जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी से मंतव्य की माँग की गयी। उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्, सीतामढ़ी के पत्रांक-595, दिनांक 31.12.2014 द्वारा मंतव्य उपलब्ध कराया गया, जिसमें मो0 अली के स्पष्टीकरण को स्वीकार करने योग्य नहीं है, प्रतिवेदित किया गया है।

मो0 अली के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप, इनके स्पष्टीकरण एवं जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी के मंतव्य के समीक्षोपरान्त, विभागीय संकल्प सं०-563, दिनांक-22.01.2016 द्वारा मो0 अली के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी, जिसमें श्री एहतेशामुल हक, सेवानिवृत्त भा०प्र०से०, तत्कालीन विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया। संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-518, दिनांक 30.12.2016 द्वारा मो0 अली के विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया, जिसमें आरोपों को प्रमाणित पाया गया।

मो0 अली के विरुद्ध आरोप, इनके बचाव-बयान तथा संचालन पदाधिकारी के जाँच-प्रतिवेदन की समीक्षा की गयी। समीक्षोपरांत प्रमाणित आरोपों हेतु मो0 अली के विरुद्ध पेंशन नियमावली के नियम-43(बी) के तहत इनके पेंशन से 10 प्रतिशत राशि की कटौती अगले पाँच वर्षों तक करने का दण्ड अधिरोपित किये जाने के बिन्दु पर द्वितीय कारण पृच्छा करने का निर्णय लिया गया। तदनुसार विभागीय पत्रांक-159, दिनांक-04.01.2018 द्वारा मो0 अली से द्वितीय कारण पृच्छा की गयी। श्री अली के पत्र, दिनांक-17.01.2018 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा का उत्तर समर्पित किया गया।

मो0 अली के विरुद्ध आरोप, इनके बचाव-बयान, संचालन पदाधिकारी के जाँच-प्रतिवेदन एवं द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब की समीक्षा की गयी। समीक्षोपरांत, मो0 अली के विरुद्ध पेंशन नियमावली के नियम-43(बी) के तहत इनके पेंशन से 10 प्रतिशत राशि की कटौती अगले पाँच वर्षों तक करने का दण्ड अधिरोपित किये जाने के निर्णय को माननीय मुख्यमंत्री द्वारा अनुमोदित किया गया।

तत्पश्चात् मो0 अली के विरुद्ध पेंशन नियमावली के नियम-43(बी) के तहत इनके पेंशन से 10 प्रतिशत राशि की कटौती अगले पाँच वर्षों तक करने का दण्ड अधिरोपित करने हेतु विभागीय पत्रांक-4927, दिनांक 04.06.2018 द्वारा झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची से सहमति की माँग की गयी। आयोग के पत्रांक-2358, दिनांक 09.10.2018 द्वारा मामले की पुनः समीक्षा करने का अनुरोध किया गया। उक्त के आलोक में विभागीय पत्रांक-9225, दिनांक 19.12.2018 एवं पत्रांक-3101, दिनांक 16.04.2019 द्वारा मो0 अली से पुनः द्वितीय कारण पृच्छा की गई। मो0 अली के पत्रांक-1/नि0, दिनांक-12.05.2019 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा का उत्तर समर्पित किया गया।

मो0 अली द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा के उत्तर की समीक्षा की गयी। समीक्षोपरांत, मो0 अली समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा को अस्वीकृत करते हुए झारखण्ड पेंशन नियमावली के नियम-43(बी) के तहत श्री अली के पेंशन से 10% राशि की कटौती अगले पाँच वर्षों तक करने के प्रस्तावित दण्ड को यथावत् रखने के निर्णय को माननीय मुख्यमंत्री द्वारा अनुमोदित किया गया, जिसके उपरांत विभागीय पत्रांक-5959, दिनांक 25.07.2019 द्वारा झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची से सहमति की माँग की गई। झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची के पत्रांक-2221, दिनांक 25.09.2019 द्वारा सहमति प्रदान की गई।

झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची के सहमति उपरांत विभागीय संकल्प सं0-9461, दिनांक 28.11.2019 द्वारा मो0 अली के विरुद्ध 10% पेंशन राशि की कटौती 05 वर्षों तक करने का दण्ड अधिरोपित किया गया।

उक्त दण्ड के विरुद्ध मो0 अली द्वारा पुनर्विचार अभ्यावेदन समर्पित किया गया, जो राज्यपाल सचिवालय, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-274, दिनांक 31.01.2020 द्वारा विभाग को उपलब्ध कराया गया है। मो0 अली द्वारा समर्पित पुनर्विचार अभ्यावेदन के मुख्य बिन्दु निम्नवत् हैं-

(i) इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अवकाश प्राप्ति के नौ साल के बाद झारखण्ड पेंशन नियमावली के नियम-43(बी0) के अन्तर्गत संचालित की गई है, जो नियम विरुद्ध है।

(ii) संचालन पदाधिकारी द्वारा अपने जाँच प्रतिवेदन में इनके विरुद्ध सभी आरोपों को अप्रमाणित प्रतिवेदित किया गया है, फिर भी विभाग द्वारा संचालन पदाधिकारी के मंतव्य से असहमत होते हुए द्वितीय कारण पृच्छा निर्गत किया गया, जिसमें संचालन पदाधिकारी के मंतव्य से असहमति का कोई कारण उल्लेख नहीं किया गया।

मो0 अली द्वारा समर्पित पुनर्विचार अभ्यावेदन की समीक्षा की गयी। समीक्षा में पाया गया कि-

(i) मो0 अली का उपरोक्त कंडिका (i) में वर्णित कथन अमान्य है क्योंकि मो0 अली के विरुद्ध झारखण्ड पेंशन नियमावली के नियम-43(बी0) के स्पष्टीकरण की कंडिका- 'क' के अनुसार विभागीय कार्यवाही संचालित की गई है। उक्त कंडिका के अनुसार विभागीय कार्यवाही उस समय से चलायी गई समझी जायेगी, जब आरोपी के विरुद्ध आरोपित आरोपों की प्रति उसे निर्गत कर दी गई हो। चूँकि विभागीय पत्रांक-1265, दिनांक 04.03.2006 द्वारा मो0 अली से उनके विरुद्ध प्राप्त प्रपत्र-‘क’ के संबंध में स्पष्टीकरण की माँग की गयी है, इसलिए उक्त तिथि से ही उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित मानी जायेगी। ज्ञातव्य है कि मो0 अली दिनांक 31.12.2007 को सेवानिवृत्त हुए हैं।

(ii) मो0 अली का उपरोक्त कंडिका (ii) में वर्णित कथन अमान्य है क्योंकि संचालन पदाधिकारी द्वारा मो0 अली के विरुद्ध सेल्फ बियरर चेक के माध्यम से राशि की निकासी का आरोप प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया है। इसके अतिरिक्त संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा के क्रम में विभाग द्वारा कतिपय महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर उनके द्वारा मंतव्य न दिये जाने के कारण विभागीय पत्रांक-9225, दिनांक 19.12.2018 द्वारा मो0 अली से द्वितीय कारण पृच्छा की गई एवं मो0 अली द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा के समीक्षोपरांत ही उन पर दण्ड अधिरोपण की कार्रवाई की गई है।

इसके अतिरिक्त मो0 अली द्वारा अपने पुनर्विचार अभ्यावेदन में उन्हीं तथ्यों को दोहराया गया है, जो उनके द्वारा संचालन पदाधिकारी अथवा द्वितीय कारण पृच्छा में उल्लेखित किया गया है।

अतः समीक्षोपरांत, मो0 मुजफ्फर अली, तत्कालीन उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्, सीतामढ़ी, बिहार द्वारा समर्पित पुनर्विचार अभ्यावेदन को अस्वीकृत करते हुए उनके विरुद्ध झारखण्ड पेंशन नियमावली के नियम-43(बी) के तहत 10% पेंशन राशि की कटौती पाँच वर्षों तक किये जाने संबंधी अधिरोपित दण्ड यथावत् रखा जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अशोक कुमार खेतान

सरकार के संयुक्त सचिव ।
